अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GRANT No. 62 - DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	18608,17,00	18608,22,00	12020,06,18	-6588,15,82
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5625,42,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	438,83,00	438,84,00	181,42,13	-257,41,87
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				206,56,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	14600.00			
पू.	S.	1.00	14214.00	12225.12	-1988.88
पु.	R.	-387.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	48954.00			
पू.	S.	1.00	10822.43	..	-10822.43
पु.	R.	-38132.57			
मुख्य शीर्ष “2700”	Major Head “2700”				
मुख्य सिंचाई	Major Irrigation				
मू.	O.	140000.00	109800.00	62434.46	-47365.54
पु.	R.	-30200.00			
मुख्य शीर्ष “2701”	Major Head “2701”				
मध्यम सिंचाई	Medium Irrigation				
मू.	O.	693891.00			
पू.	S.	2.00	635914.30	622686.28	-13228.02
पु.	R.	-57978.70			
मुख्य शीर्ष “2702”	Major Head “2702”				
लघु सिंचाई	Minor Irrigation				
मू.	O.	40156.00	38706.60	38408.77	-297.83
पु.	R.	-1449.40			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	3771.00	11783.84	10465.85	-1317.99
पु.	R.	8012.84			
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	8826.00	6070.00	5821.47	-248.53
पु.	R.	-2756.00			
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	282268.00	224475.00	220716.10	-3758.90
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-57794.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	605019.00	243950.03	226717.92	-17232.11
पु.	R.	-361068.97			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	23332.00	2543.80	2530.21	-13.59
पु.	R.	-20788.20			

(I) ₹73755.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित, अठारह शीर्षों के तहत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹72552.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "अन्य कार्यालय – वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण" – ₹600.00 लाख – वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण के विघटन के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "सामान्य – केंद्रीय सहायता / शेयर" –

(i) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय / विशेष परियोजना" – ₹2500.00 लाख; और

(ii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – ₹3000.00 लाख।

कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(iii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹18000.00 लाख;

(ख) "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय" –

(i) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹7000.00 लाख;

(ii) "ब्रह्मपुत्र बोर्ड" – ₹5000.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(I) Provision of ₹73755.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022 remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹72552.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Other Offices - Vansadhara Water Disputes Tribunal" - ₹600.00 lakhs - due to dissolution of Vansadhara Water Disputes Tribunal.

(B) Major Head "2552" -

(a) "General - Central Assistance/Share" -

(i) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/ Special Project" - ₹2500.00 lakhs; and

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(iii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - ₹18000.00 lakhs;

(b) "Flood Control - Other Expenditure" -

(i) "River Basin Management" - ₹7000.00 lakhs;

(ii) "Brahmaputra Board" - ₹5000.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(ग) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) – अन्य व्यय" –

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹1854.00 लाख;

(ii) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹3000.00 लाख;

(iii) "उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान" – ₹1100.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "सामान्य – अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹6000.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में निधियों/आंशिक निधियों के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपरोक्त आठ शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – ₹5000.00 लाख; और

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर" –

(क) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹6497.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत प्रावधान पिछले वर्ष के अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन

(c) "General (Medium Irrigation) - Other Expenditures" -

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹1854.00 lakhs:

(ii) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹3000.00 lakhs;

(iii) "North Eastern Regional Institute of Water and Land Management" - ₹1100.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(d) "General - Research -National Hydrology Project" - ₹6000.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Areas Programme" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - ₹5000.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - ₹6497.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals

एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ख) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹12000.00 लाख – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के तहत – "सचिवालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" – रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए गए और प्रकाशन के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹1832.94 लाख की बचत (₹10200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(III) मुख्य शीर्ष "2700" के तहत – "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – नदियों को जोड़ना" – ₹77565.54 लाख की बचत (₹140000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्यान्वयन एजेंसियां से कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई थी।

(IV) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" के तहत – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "निदेशन और प्रशासन – केंद्रीय जल आयोग" – वेतन और भत्ते और मरम्मत और रखरखाव के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण ₹2097.74 लाख (स्वीकृत प्रावधान ₹39950.00 लाख की तुलना में) की बचत हुई।

(खा) "अनुसंधान" –

(क) "केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र" – वेतन और भत्ते और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण ₹854.36 लाख (₹9210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

from the implementing agencies owing to availability of unspent balances of the previous year.

(b) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹12000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territories under Flood Management and Border Area Programme Scheme.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" - saving of ₹1832.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards publication.

(III) Under Major Head "2700" - "General - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Interlinking of Rivers" - saving of ₹77565.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to slow progress of work.

(IV) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Central Water Commission" - saving of ₹2097.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39950.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances and repair and maintenance.

(B) "Research" -

(a) "Central Water and Power Research Station" - saving of ₹854.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9210.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances and other establishment expenses.

(ख) "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹23807.48 लाख की बचत (₹69840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(b) "National Hydrology Project" - saving of ₹23807.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹69840.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

(ग) "अनुसंधान और विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन" – ₹1288.18 लाख की बचत (₹4165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना कार्यान्वयन, मुद्रण और प्रकाशन तथा कम सलाहकारों की नियुक्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(c) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - saving of ₹1288.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4165.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies towards scheme implementation, printing and publication and hiring of less consultants.

(गा) "अन्य व्यय" –

(C) "Other Expenditure" -

(क) "बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)" – बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के लिए पेशेवर सेवाओं को किराए पर लेने के लिए के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹7608.99 लाख (₹9560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(a) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹7608.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9560.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards hiring of professional services for Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP).

(ख) "पीएमकेएसवाई के तहत नाबार्ड से ऋण की सेवा" – ₹82715.38 लाख की बचत (₹458500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण को नाबार्ड ऋण के लिए ब्याज भुगतान और राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज छूट के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(b) "Servicing of Loans from NABARD under PMKSY" - saving of ₹82715.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹458500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards interest payment for NABARD Loan to National Water Development Authority and interest subvention for NABARD to states under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.

(ग) "राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी" – ₹598.82 लाख की बचत (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पद न भरे जाने के कारण थी।

(c) "National Water Development Agency" - saving of ₹598.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs) was due to due to non-filling up to vacant posts.

(V) मुख्य शीर्ष "2702" के तहत – "भूजल – जांच – भूजल प्रबंधन और विनियमन" – ₹2160.11 लाख की बचत (₹11953.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय उपकरणों की खरीद, वाहनों का रखरखाव, किए गए दौरे, चिकित्सा दावों और कम आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(V) Under Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹2160.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11953.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of office equipment, maintenance of vehicles, tours undertaken, medical claims and hiring of less outsourced staff.

(VI) मुख्य शीर्ष "2711" के तहत – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – रिक्त पदों को न भरने, मरम्मत/रखरखाव, कम दौरे और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹1941.45 लाख (₹3771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) की बचत हुई।

(VI) Under Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹1941.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3771.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards repairs/maintenance, less tours undertaken and other establishment related expenses.

(VII) मुख्य शीर्ष "3075" के तहत – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज" – ₹2647.18 लाख की बचत (₹8092.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और मरम्मत एवं रखरखाव, कम पेशेवरों और आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई थी।

(VII) Under Major Head "3075" - "River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage" - saving of ₹2647.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8092.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards repair and maintenance and hiring of less professionals and outsourced staff.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3435" के तहत – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय गंगा योजना" – ₹61632.22 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.0 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹280001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना लागत में संशोधन, काम की धीमी गति और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(VIII) Under Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National Ganga Plan" - saving of ₹61632.22 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹280001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to revision of project cost, slow pace of work and availability of unspent balances of previous year.

(IX) मुख्य शीर्ष "3601" के तहत – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(IX) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केंद्रीय सहायता/शेयर" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹1702.29 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता और एकल नोडल एजेंसी दिशानिर्देशों के गैर – अनुपालन के कारण कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(ख) "विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों और महाराष्ट्र के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज" – ₹58697.73 लाख की बचत (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों को कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹13644.63 लाख की बचत (₹43000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय / विशेष परियोजनाएं" – ₹200593.70 लाख की बचत (₹260769.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ङ) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" – ₹86292.53 लाख की बचत (₹96200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

नई परियोजनाओं को शामिल न करने और एकल नोडल एजेंसी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण उपरोक्त तीन शीर्षों के तहत बचत हुई।

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - saving of ₹1702.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of the previous year and non-compliance of Single Nodal Agency guidelines.

(b) "Special package for Completion of Irrigation Projects to address agrarian distress in districts of Vidarbha and Marathwada and other chronically drought prone areas rest of Maharashtra" - saving of ₹58697.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

(c) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - saving of ₹13644.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43000.00 lakhs);

(d) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Projects" - saving of ₹200593.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹260769.00 lakhs); and

(e) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Command Area Development and Water Management" - saving of ₹86292.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹96200.00 lakhs).

Savings under above three heads were due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to non-inclusion of new projects and non-compliance of Single Nodal Agency guidelines.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ" – जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹53314.60 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Projects" - saving of ₹53314.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from state Government for the project benefitting tribal areas.

(X) मुख्य शीर्ष "3602" के तहत – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹1533.50 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियां द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(X) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National River Conservation Plan" - saving of ₹1533.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

(XI) तीन शीर्षों के तहत ₹1022.26 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी, लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 47 प्रतिशत थी।

(XI) Under three heads saving of ₹1022.26 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 47 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचत आंशिक रूप से (₹51885.41 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए अप्रयुक्त थी, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही बताया जा चुका है :–

2.(I) The above savings were partly (₹51885.41 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान" – ₹1837.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1800.75 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय – अटल भूजल योजना" – ₹45700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹45542.13 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – ब्रह्मपुत्र बोर्ड" – ₹4348.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4346.80 लाख था।

(A) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Direction & Administration - North Eastern Regional Institute of Water and Land Management" - ₹1837.00 lakhs. Actual Excess, however, was ₹1800.75 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Atal Bhujal Yojana" - ₹45700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹45542.13 lakhs.

(B) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - Brahmaputra Board" - ₹4348.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹4346.80 lakhs.

(II) बचत की भरपाई निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत भी अधिक व्यय से की गई :–

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹839.65 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2668.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रही और परिकल्पित परियोजनाओं/गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2702" – "भूजल – जांच – केंद्रीय भूजल बोर्ड" – ₹605.30 लाख का अधिक व्यय (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनर्जीवित समाप्त पदों को भरने और अवकाश नकदीकरण दावों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹4289.50 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान के सापेक्ष) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं" –

(क) "केंद्रीय सहायता/शेयर" –

(i) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹16275.43 लाख का अधिक व्यय (₹12950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रही परियोजनाओं के लिए कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(ii) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹16424.67 लाख का अधिक व्यय (₹25000.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2701" - "General - Other Expenditure - River Basin Management" - excess of ₹839.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2668.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards materialization of ongoing and envisaged projects/activities.

(B) Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation - Central Ground Water Board" - excess of ₹605.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards filling up of revived abolished posts and leave encashment claims.

(C) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - excess of ₹4289.50 lakhs (against Nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "National River Conservation Plan" - excess of ₹16275.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12950.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by some States for ongoing projects.

(ii) "Flood Management and Border Areas Programme" - excess of ₹16424.67 lakhs (against the sanctioned

में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में धन के पुनर्विनियोजन और वर्तमान परियोजनाओं के लिए माननीय असम उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार में असम राज्य को केंद्रीय सहायता हिस्सेदारी जारी करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

provision of ₹25000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards release of central assistance share to the State of Assam as per the directions of the Hon'ble High Court for the current projects.

(ख) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹5000.00 लाख का अधिक व्यय (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Plan" - excess of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs); and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी" – ₹3244.30 लाख का अधिक व्यय (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani" - excess of ₹3244.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs).

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for ongoing projects by the implementing agencies.

(III) दो शीर्षों के तहत ₹762.81 लाख का अधिक व्यय हुआ, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक था, लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं था और स्वीकृत प्रावधान का 101 प्रतिशत और 106 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹762.81 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 101 percent and 106 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4701"	Major Head "4701"				
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	9277.00	6270.00	5821.76	-448.24
पु.	R.	-3007.00			
मुख्य शीर्ष "4702"	Major Head "4702"				
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	27397.00	13927.00	9330.07	-4596.93
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-13471.00			
मुख्य शीर्ष "5075"	Major Head "5075"				
अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	6674.00	2930.00	2923.12	-6.88
पु.	R.	-3744.00			

(I) पांच शीर्षों के तहत ₹318.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹318.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) remained wholly unutilized under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य" के तहत – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(II) Under Major Head "4701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – खरीद में देरी के कारण मशीनरी और उपकरणों के लिए कम

(A) "Research - National Hydrology Project" - saving of ₹2092.92 lakhs (against the sanctioned

धन की आवश्यकता के कारण ₹2092.92 लाख (₹4160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

provision of ₹4160.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards machinery and equipment owing to delay in procurement.

(खा) "अन्य व्यय – जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – काम की धीमी गति और मशीनरी और उपकरणों की खरीद में देरी के कारण ₹595.47 लाख (₹1966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(B) "Other Expenditure - Development of Water Resources Information System" - saving of ₹595.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1966.00 lakhs) was due to slow pace of work and delay in procurement of machinery and equipment.

(III) मुख्य शीर्ष "4702" के तहत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(III) Under Major Head "4702" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भूजल प्रबंधन और विनियमन" – ₹910.92 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(A) "Tribal Area Sub-Plan - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹910.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

(खा) "अन्य व्यय – भूजल प्रबंधन और विनियमन" – ₹16712.90 लाख की बचत (₹25197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता, काम की धीमी गति के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता और प्रशासनिक मंजूरी मिलने में देरी के कारण मशीनरी और उपकरणों की खरीद में देरी के कारण थी।

(B) "Other Expenditure - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹16712.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25197.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies owing to availability of unspent balances of the previous year, slow pace of work and delay in procurement of machinery and equipment owing to delay in receipt of administrative approval.

(IV) मुख्य शीर्ष "5075" के तहत – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज" – ₹3740.88 लाख की बचत (₹6664.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी और उपकरणों की खरीद में देरी और काम की धीमी प्रगति की वजह से कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(IV) Under Major Head "5075" - "River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage" - saving of ₹3740.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6664.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards land acquisition, construction of building, delay in procurement of machinery and equipment and slow progress of work.

(V) तीन शीर्षों के तहत ₹1068.68 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी, लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 37 प्रतिशत थी।

(V) Under three heads savings of ₹1068.68 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 24 percent to 37 percent of the sanctioned provision.